

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

312

दिनांक - 21. 2-19

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रमेश पुत्र देवाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


1 राजूराम पुत्र जेठाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 12/2018

दिनांक- 14.02.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 462 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 463 रकबा 32.01 बीघा, खसरा संख्या 464 रकबा 272.16 बीघा कुल रकबा 305.05 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2019/

312 - 316

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 21. 2-19

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रमेश पुत्र देवाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी राजूराम पुत्र जेठाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर